

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर
(खनिज अनुभाग)

संख्या 292 9/30-माइन्स/2023-24

दिनांक 16 /05 /2023

ई-निविदा आगत्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं० 748/86-2022-03(सा०)/2021 दिनांक 20.06.2022 के द्वारा, विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु बालू/मौरम की उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ईमारती पत्थर यथा, सैण्डस्टोन, डोलोस्टोन, ग्रेनाइट एवं ग्रेनाइट आयामी पत्थर के खनन क्षेत्रों में खनन संक्रिया के दौरान एकत्रित अनुपयोगी पत्थरों (रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन) से कृत्रिम बालू (एम-सैण्ड-Manufactured Sand) के उत्पादन एवं उसके उपयोग हेतु प्रक्रियात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के कम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 06.04.2023 के द्वारा अपर जिलाधिकारी, ललितपुर की अध्यक्षता में ईमारती पत्थर यथा सैण्ड स्टोन, डोलोस्टोन, ग्रेनाइट एवं ग्रेनाइट आयामी पत्थर के खनन क्षेत्रों के रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन की मात्रा में क्ले/मिट्टी की मात्रा घटा कर लॉट की मात्रा का निर्धारण करने हेतु समिति का गठन किया गया।

गठित समिति द्वारा दिनांक 16.04.2023 को स्वीकृत/संचालित उपखनिज ग्रेनाइट डायमैन्शनल स्टोन के खनन पट्टा से निकले रिजेक्ट /ओवरवर्डन के क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खनन क्षेत्र के रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन की मात्रा में क्ले/मिट्टी की मात्रा घटा कर निम्न विवरण के अनुसार कृत्रिम बालू (एम-सैण्ड-Manufactured Sand) के उत्पादन हेतु उपयुक्त पाया गया :-

क्र स	तहसील	ग्राम	आराजी सं०	रकबा (हे०)	खण्ड सं०	उपखनिज	स्थलों के अक्षांतर और देशांतरों की स्थिति	मण्डारि त मात्रा घनमी० में	रायल टी दर रु० प्रति घनमी ०	मण्डारित मात्रा की कुल रायल्टी रु० में	अर्नेस्टमनी (कॉलम-11) में अंकित सकल घनराशि का 10 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ललितपुर	टोरिया	2 का भाग, 3 का भाग, 22 का भाग 23 का भाग 20 का भाग 26 का भाग	1.368	खण्ड -5	ग्रेनाइट पत्थर (रिजेक्ट खण्ड/ बोल्डर)	A-24°47'-00.48 78°19'-39.78" B-24°47'-01.75 78°19'-43.56" C-24°46'-57.98 78°19'-44.85" D-24°46'-56.75 78°19'-41.28" E-24°46'-58.28 78°19'-39.13"	74585	100	74,58,500	7,45,850.00
2	ललितपुर	टोरिया	26 का भाग, 27 का भाग, 39 का भाग, 40 का भाग	0.886	खण्ड -6	ग्रेनाइट पत्थर (रिजेक्ट खण्ड/ बोल्डर)	A-24°47'-01.29 78°19'-47.36" B-24°47'-03.26 78°19'-48.56" C-24°47'-03.53 78°19'-50.00" D-24°47'-00.17 78°19'-50.54" E-24°46'-57.97 78°19'-49.94"	16485	100	16,48,500	1,64,850.00
3	ललितपुर	मडवारी	307 का भाग, 319 का भाग, 320, 321 से 328 तक का भाग, 333 का भाग, 334 का भाग, 335 का भाग, 336 का भाग, 366 का भाग, 307 का भाग	5.185	खण्ड -2	ग्रेनाइट पत्थर (रिजेक्ट खण्ड/ बोल्डर)	A-24°45'-24.18 78°17'-55.85" B-24°45'-23.30 78°17'-57.60" C-24°45'-18.60 78°17'-55.92" D-24°45'-13.29 78°17'-56.65" E-24°45'-15.70 78°17'-52.83" F-24°45'-15.86 78°17'-49.40" G-24°45'-19.43 78°17'-47.03" H-24°45'-21.36 78°17'-43.93" I-24°45'-22.10 78°17'-53.47"	372260	100	3,72,26,000	37,22,600.00
4	ललितपुर	गनगौरा	594 का भाग 595 का भाग 596 का भाग	0.220	खण्ड -1	ग्रेनाइट पत्थर (रिजेक्ट खण्ड/ बोल्डर)	A-24°44'-14.60 78°21'-06.90" B-24°44'-14.60 78°21'-07.80" C-24°44'-12.10 78°21'-07.90" D-24°44'-12.10 78°21'-06.70"	4445	100	4,44,500	44,450
5	ललितपुर	खुरा	789 का भाग, 788 का भाग, 791 का भाग, 792 का भाग, 793 का भाग, 795 का भाग,	2.160	खण्ड -1	ग्रेनाइट पत्थर (रिजेक्ट खण्ड/ बोल्डर)	A-24°45'-26.04 78°23'-32.63" B-24°45'-30.93 78°23'-32.89" C-24°45'-32.26 78°23'-36.96" D-24°45'-29.16 78°23'-41.88" E-24°45'-27.83 78°23'-41.10" F-24°45'-29.19 78°23'-35.27"	105497	100	1,05,49,700	10,54,970

			796 का भाग, 797 का भाग, 780 का भाग,									
6	ललितपुर	रोड़ा	242 का भाग, 243 का भाग, 244 का भाग, 246 का भाग,	0.500	खण्ड -1	ग्रेनाइट पत्थर (रिजैक्ट खण्डा/ बोल्डर)	A-24°44'-23.60 78°25'-38.60" B-24°44'-23.90 78°25'-40.80" C-24°44'-20.80 78°25'-41.00" D-24°44'-21.50 78°25'-38.70"	7532	100	7,53,200	75,320	
7	ललितपुर	विद्यामहावत	15 का भाग, 16 का भाग, 17 का भाग	1.152	खण्ड -1	ग्रेनाइट पत्थर (रिजैक्ट खण्डा/ बोल्डर)	A-24°48'-45.40 78°24'-53.60" B-24°48'-45.60 78°24'-56.10" C-24°48'-40.90 78°24'-56.50" D-24°48'-40.10 78°24'-53.40"	66850	100	66,85,000	6,68,500	
8	ललितपुर	मडवारी	202 का भाग, 206 का भाग, 205, 282 का भाग, 283 का भाग, 284, 285, 286 से 289 तक का भाग, 294 का भाग, 295 का भाग, 296 का भाग, 303 का भाग	7.000	खण्ड -1	ग्रेनाइट पत्थर (रिजैक्ट खण्डा/ बोल्डर)	A-24°45'-36.65 78°18'-01.96" B-24°45'-37.26 78°18'-07.67" C-24°45'-34.64 78°18'-09.60" D-24°45'-28.99 78°18'-08.65" E-24°45'-26.66 78°18'-06.13" F-24°45'-26.00 78°18'-04.00" G-24°45'-27.16 78°18'-01.60" H-24°45'-32.08 78°17'-59.96"	687862	100	6,87,86,200	68,78,620	
9	ललितपुर	दुर्जनपुरा	323 का भाग, 326 का भाग, 333 का भाग, 338 का भाग, 339 का भाग, 340, 341 का भाग, 342 का भाग, 347 का भाग	3.700	खण्ड -1	ग्रेनाइट पत्थर (रिजैक्ट खण्डा/ बोल्डर)	A-24°42'-30.27 78°23'-15.22" B-24°42'-31.00 78°23'-23.45" C-24°42'-29.17 78°23'-24.68" D-24°42'-22.94 78°23'-18.23"	101850	100	1,01,85,000	10,18,500	
10	ललितपुर	दुर्जनपुरा	366 का भाग, 367 का भाग, 404 का भाग, 405 का भाग, 406, 407, 408 का भाग, 409 का भाग, 410 का भाग,	3.663	खण्ड सं०-2	ग्रेनाइट पत्थर (रिजैक्ट खण्डा/ बोल्डर)	A-24°42'-36.96 78°23'-30.33" B-24°42'-37.54 78°23'-33.81" C-24°42'-35.87 78°23'-37.20" D-24°42'-31.26 78°23'-38.33" E-24°42'-31.18 78°23'-29.60"	398412	100	3,98,41,200	39,84,120	
11	ललितपुर	दुर्जनपुरा	392 का भाग, 396 का भाग, 397 का भाग, 398 का भाग, 399 का भाग, 401 का भाग, 402 का भाग, 403 का भाग, 372 का भाग, 380 का भाग	6.628	खण्ड सं०-3	ग्रेनाइट पत्थर (रिजैक्ट खण्डा/ बोल्डर)	A-24°42'-49.33 78°23'-28.87" B-24°42'-49.95 78°23'-31.42" C-24°42'-44.97 78°23'-35.46" D-24°42'-38.69 78°23'-33.90" E-24°42'-37.99 78°23'-30.32" F-24°42'-43.00 78°23'-25.78"	571200	100	5,71,20,000	57,12,000	
12	ललितपुर	टोरिया	43 का भाग, 54 का भाग, 55 का भाग	0.430	खण्ड -1	ग्रेनाइट पत्थर (रिजैक्ट खण्डा/ बोल्डर)	A-24°46'-46.35 78°19'-46.31" B-24°46'-48.04 78°19'-48.96" C-24°46'-46.12 78°19'-50.12" D-24°46'-45.19 78°19'-47.20"	17542	100	17,54,200	1,75,420	
13	ललितपुर	टोरिया	55 का भाग, 56 का भाग, 57 का भाग, 58 का भाग, 71 का भाग	1.200	खण्ड -2	ग्रेनाइट पत्थर (रिजैक्ट खण्डा/ बोल्डर)	A-24°46'-47.14 78°19'-35.93" B-24°46'-48.06 78°19'-37.90" C-24°46'-47.59 78°19'-39.53" D-24°46'-44.19 78°19'-39.78" E-24°46'-43.08 78°19'-37.29" F-24°46'-44.04 78°19'-36.50" G-24°46'-45.83 78°19'-36.90"	93408	100	93,40,800	9,34,080	
14	ललितपुर	टोरिया	43 का भाग, 44 का भाग, 45 का भाग, 48 का भाग, 41 का भाग	0.725	खण्ड -3	ग्रेनाइट पत्थर (रिजैक्ट खण्डा/ बोल्डर)	A-24°46'-54.47 78°19'-52.15" B-24°46'-52.94 78°19'-56.10" C-24°46'-50.31 78°19'-56.48" D-24°46'-50.50 78°19'-55.15" E-24°46'-51.87 78°19'-52.70" F-24°46'-51.84 78°19'-51.08"	76692	100	76,69,200	7,66,920	
15	ललितपुर	टोरिया	13 से 21 तक के भाग, 50 का भाग, 26 का भाग, 40 का भाग, 49 का भाग, 48 का भाग,	2.042	खण्ड -4	ग्रेनाइट पत्थर (रिजैक्ट खण्डा/ बोल्डर)	A-24°46'-50.93 78°19'-42.11" B-24°46'-52.09 78°19'-40.18" C-24°46'-54.23 78°19'-41.62" D-24°46'-57.86 78°19'-46.56" E-24°46'-58.20 78°19'-48.02" F-24°46'-57.17 78°19'-49.72" G-24°46'-55.83 78°19'-48.96" H-24°46'-55.88 78°19'-47.11"	45325	100	45,32,500	4,53,250	
16	ललितपुर	काला पहाड़	107/2 का भाग 107/3 का भाग 107/7 का भाग 191 का	1.300	खण्ड सं०-1	ग्रेनाइट पत्थर (रिजैक्ट खण्डा/ बोल्डर)	A-24°45'-27.06 78°17'-17.52" B-24°45'-27.18 78°17'-18.58" C-24°45'-26.00 78°17'-20.04" D-24°45'-20.37 78°17'-19.48" E-24°45'-20.27 78°17'-17.40"	51240	100	51,24,000	5,12,400	

			भाग								
17	ललितपुर	काला पहाड	126/1, 125/2 का भाग, 125/3 का भाग, 125/4 का भाग, 125/5 का भाग, 125/6 का भाग, 141 का भाग, 144 का भाग, 146 का भाग, 147 का भाग, 158 का भाग, 145 का भाग	10.343	खण्ड सं०-2	ग्रेनाइट पत्थर (रिजेक्ट खण्डा/बोल्डर)	A-24°45'-33.08 78°17'-28.54" B-24°45'-35.19 78°17'-34.73" C-24°45'-27.57 78°17'-40.27" D-24°45'-20.85 78°17'-39.54" E-24°45'-19.63 78°17'-37.47" F-24°45'-19.88 78°17'-33.25" G-24°45'-25.95 78°17'-31.75" H-24°45'-27.35 78°17'-28.90"	1174432	100	11,74,43,200	1,17,44,320
18	ललितपुर	दौलवारा	2850 का भाग, 2851 का भाग, 2852 का भाग, 2899 का भाग, 2900 का भाग,	1.611	खण्ड सं०-1	ग्रेनाइट पत्थर (रिजेक्ट खण्डा/बोल्डर)	A-24°45'-40.80 78°23'-54.29" B-24°45'-40.89 78°23'-55.91" C-24°45'-38.74 78°23'-59.43" D-24°45'-36.22 78°23'-56.23" E-24°45'-37.26 78°23'-53.43" F-24°45'-38.94 78°23'-53.10"	61656	100	61,65,600	6,16,560
19	ललितपुर	ललितपुर बाहर हद	610 का भाग, 611 का भाग, 612 का भाग, 614 का भाग, 763 का भाग,	3.276	खण्ड सं०-1	ग्रेनाइट पत्थर (रिजेक्ट खण्डा/बोल्डर)	A-24°42'-13.65 78°23'-25.84" B-24°42'-15.12 78°23'-28.39" C-24°42'-14.36 78°23'-29.57" D-24°42'-11.92 78°23'-30.86" E-24°42'-10.77 78°23'-33.58" F-24°42'-07.66 78°23'-34.06" G-24°42'-06.13 78°23'-31.50" H-24°42'-12.32 78°23'-25.75"	143052	100	1,43,05,200	14,30,520

अतः शासनादेश सं० 748/86-2022-03(सा०)/2021 दिनांक 20.06.2022 में दिये गये निर्देशानुसार खनन क्षेत्रों में खनन संक्रिया के दौरान एकत्रित अनुपयोगी पत्थरों (रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन) की भण्डारित मात्रा को निम्न विवरण एवं शर्तों के अनुसार 01 वर्ष की अवधि का अनुज्ञा पत्र हेतु ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर दिनांक 25.05.2023 से 05.06.2023 तक समय 05:00 P.M. बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

शर्तें:-

- 1- भण्डारित मात्रा के निस्तारण की अवधि 01 वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी द्वारा उक्त अवधि अग्रेत्तर 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।
- 2- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नं० (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा-वोटर आई डी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका यंजीकरण का विवरण)।
- 3- भण्डारित खनिज के प्रति घनमी० के लिए दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिए शासनादेश सं० 748/86-2022-03(सा०)/2021 दिनांक 20.06.2022 में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू० 100 से कम नहीं होगी।
- 4- भण्डारित मात्रा (घनमीटर) को शासनादेश सं० 748/86-2022-03(सा०)/2021 दिनांक 20.06.2022 में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि जो उपरोक्त तालिका के कॉलम 12 में अंकित है जमा की जायेगी।
- 5- ई-निविदा में प्रतिभाग हेतु अर्नेस्ट मनी की धनराशि रू० 25000 का बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी ललितपुर के पक्ष में अग्रिम के रूप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
- 6- ई-निविदा आमन्त्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात् दिनांक 05.06.2023 तक NIC की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर निविदाकार को अपनी ई-निविदा अपलोड करनी होगी।

- 7- विज्ञापित के अनुसार 07 कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में दिनांक 06-06-2023 को समय 11:00 AM बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।
- 8- पैन कार्ड अथवा फोटो युक्त पहचान पत्र तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा पैन कार्ड अथवा फोटो युक्त पहचान पत्र बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिडस खोले जाने के उपरान्त दिनांक 06-06-2023 को समय 5.00 बजे के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा। मूल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- 9- भण्डारित खनिज के प्रति घनमी0 के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के अनुज्ञा पत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 10- अधिकतम ई-निविदा दर को लॉट की मात्रा से गुणा कर देय निविदा धनराशि की गणना की जायेगी तथा अनुमन्य अवधि से भाग दे कर प्रत्येक त्रिमासिक किश्त की धनराशि निर्धारित की जायेगी।
- 11- ई-निविदा की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त आशय-पत्र निर्गत करने से पूर्व रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन से सम्बन्धित खनन क्षेत्र के वर्तमान पट्टाधारक को स्वतः संज्ञान के आधार पर 02 कार्य दिवस के अन्दर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जायेगा।
- 12- उच्चतम बोली दाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश निर्गत किया जायेगा।
- 13- भण्डारित मात्रा को इस तरह उठाया जाये कि डम्प Collapse ना हो जिससे कोई दुर्घटना और जन हानि की सम्भावना ना रहे और ना ही पट्टाधारक/पूर्व पट्टाधारक को कोई परेशानी हो, का ध्यान रखा जायेगा।
- 14- ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली-1999 के अध्याय-6 के नियम-30 एवं 31 तथा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये डम्प से निकाली गयी मिट्टी का अलग ढेर अनुज्ञप्ति धारक द्वारा लगाया जायेगा, जिससे पट्टा समाप्ति के बाद खदानो को भरा जा सके एवं उस पर वनस्पति आदि लगायी जा सके।
- 15- जिलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
- 16- भण्डारित मात्रा, या अन्य किसी जानकारी के लिए कार्यालय जिलाधिकारी ललितपुर (खनन अनुभाग) से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 17- क्षेत्र में भण्डारित खनिज की उपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं संतुष्ट हो ले। अनुज्ञप्ति स्वीकृति के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी क्षतिपूर्ति अथवा दावेदारी स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 18- क्षेत्र में पहुंच मार्ग का निर्माण अनुज्ञप्ति धारक को स्वयं करना होगा।
- 19- आवेदित क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता, उसके गुण एवं मात्रा आदि के सम्बन्ध में आवेदक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व स्वयं मौके पर जाकर सत्यापित करेगा तथा इस सम्बन्ध में बाद में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- 20- उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 में दिये गये प्राविधानों, समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन आवेदक/अनुज्ञप्ति धारक को करना/मान्य होगा है।
- 21- कृत्रिम बालू के उत्पादन हेतु पूर्व से स्थापित संयंत्र या नया संयंत्र स्थापित करने वाले व्यक्ति /पट्टाधारक /फर्म/कम्पनी को सम्पूर्ण देय धनराशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को संयंत्र स्थापित करने विषयक निबंधन प्रमाण पत्र/ अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी उक्तानुसार प्रमाण पत्र की पुष्टि 01 सप्ताह के अन्दर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (खनन) द्वारा की जायेगी। प्रमाण पत्र की पुष्टि के उपरान्त देय धनराशि पर छूट का लाभ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अनुमन्य होगा। उत्पादक द्वारा उत्पादित एम-सैण्ड की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 22- उत्पादन संयंत्र तक रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन का परिवहन ई-प्रपत्र सी के माध्यम से किया जायेगा। उत्पादित कृत्रिम बालू के भण्डारण हेतु उत्तर प्रदेश खनन (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2018 (यथा संशोधित) के अधीन भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। भण्डारण स्थल से कृत्रिम बालू का परिवहन ई-प्रपत्र -सी के माध्यम से किया जायेगा।

जिलाधिकारी,
ललितपुर।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
- 4- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) लखनऊ।
- 5- समस्त उपजिलाधिकारी जनपद ललितपुर।
- 6- प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय 371/9, सिविल लाइन, झांसी।
- 7- जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर को निःशुल्क प्रकाशनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु।
- 8- समस्त तहसीलदार जनपद ललितपुर को तहसील के सूचना पट पर चस्पा करने एवं प्रचार-प्रसार हेतु।
- 9- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) ललितपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
- 10- नाजिर सदर कलेक्ट्रेट ललितपुर को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति की एक प्रति कलेक्ट्रेट के सूचना पट पर तत्काल चस्पा करने एवं प्रचार प्रसार हेतु।

जिलाधिकारी,
ललितपुर।